

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के लिए

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 2107/2004

अरविंद चौधरी पुत्र स्वर्गीय श्री मोहन राम जी , उम्र लगभग 46 वर्ष, वर्तमान में बी-7 सूरज नगर (पश्चिम) सिविल लाइंस, जयपुर में रहते हैं।

----याचिकाकर्ता

बनाम

- राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार सचिवालय, जयपुर के माध्यम से
- सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- कलेक्टर, जयपुर

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता (ओं) के लिए : श्री सार्थक रस्तोगी
प्रतिवादी (ओं) के लिए : श्री युवराज सामंत
श्री नीरज बत्रा , जी.सी.

माननीय श्रीमान. जस्टिस अवनीश झिंगन

आदेश**18/09/2024**

- यह याचिका प्रतिवादी को लिए गए निर्णय के अनुसार याचिकाकर्ता को खातेदारी अधिकार प्रदान करने के निर्देश देने की मांग करते हुए दायर की गई है। इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी को राज्य सरकार की नीति के अनुसार पट्टा प्रदान करने के आवेदन पर निर्णय लेने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
- संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि विचाराधीन भूमि याचिकाकर्ता के पिता को 02.08.1966 को आवंटित की गई थी, उनके नाम पर म्यूटेशन दर्ज किया गया था और 09.08.1966 को लीज डीड निष्पादित की गई थी। इसके बाद, पोल्ट्री फार्म के निर्माण के लिए अनुमति दी गई थी। 09.05.2003 को जयपुर विकास प्राधिकरण (संक्षेप में 'जेडीए') ने याचिकाकर्ता को चौबीस घंटे के भीतर निर्माण हटाने के लिए नोटिस दिया। व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने जेडीए ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर की। जेडीए ने अपील के अपने जवाब में प्रस्तुत किया कि राज्य सरकार ने कलेक्टर के आदेश के तहत भूमि को पुनः प्राप्त कर लिया था और याचिकाकर्ता के पिता की खातेदारी रद्द कर दी गई थी और 13.09.1989 के म्यूटेशन द्वारा भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में सवाईचक के रूप में दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ता को संबंधित भूमि का खातेदारी अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्व विभाग के उप सचिव को एक आवेदन दिया गया था। आवेदन पर प्रतिवादियों की निष्क्रियता से व्यथित होकर, वर्तमान याचिका दायर की गई है। 28.05.2004 को प्रस्ताव का नोटिस जारी करते हुए, पक्षकारों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि इस रिट याचिका के निर्णय की प्रतीक्षा में न्यायाधिकरण के समक्ष दायर अपील का निपटारा कर दिया गया है। तर्क दिया गया है कि राज्य की नीति के अनुसार खातेदारी अधिकार याचिकाकर्ता को प्रदान किए जाने हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता के पिता को भूमि आवंटित की गई थी और उस पर कब्जा अभी भी याचिकाकर्ता के पास है।
4. प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के पास सिविल मुकदमे का उपाय है।
5. उभय पक्ष के अधिवक्ताओं को सुना गया तथा दलीलों का अवलोकन किया गया।
6. कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत उत्तर में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि संबंधित भूमि के याचिकाकर्ता के पिता के खातेदारी अधिकार रद्द कर दिए गए थे। यह भी ध्यान देने योग्य है कि खातेदारी अधिकार रद्द करने का आदेश न तो याचिकाकर्ता को दिया गया और न ही उनके उत्तर के साथ संलग्न किया गया।
7. यह देखते हुए कि कुछ तथ्यात्मक मुद्दे हैं जिन पर निर्णय लिया जाना है, रिट याचिका का निपटारा इस छूट के साथ किया जाता है कि याचिकाकर्ता आज से तीन सप्ताह के भीतर प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष खातेदारी अधिकारों का दावा करने हेतु एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। अभ्यावेदन के साथ याचिकाकर्ता के पिता को संबंधित भूमि के आवंटन का प्रमाण और उसके समर्थन में दस्तावेज़ संलग्न होने चाहिए। प्रतिवादी संख्या 3, अभ्यावेदन पर विधानुसार विचार करेगा और प्रभावित पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद उस पर निर्णय देगा।
8. यदि याचिकाकर्ता के पिता के खातेदारी अधिकार पहले ही रद्द कर दिए गए हों तो आदेश की प्रति उपलब्ध कराई जाएगी तथा याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार उपचार प्राप्त करने की स्वतंत्रता होगी।
9. प्रदान की गई अंतरिम सुरक्षा जारी रहेगी। अंतरिम सुरक्षा प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा अभ्यावेदन पर निर्णय लिए जाने तक जारी रहेगी।
10. यह वांछनीय होगा कि, विचाराधीन भूमि का आवंटन वर्ष 1966 का है, इसलिए प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से छह माह के भीतर अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का ईमानदारी से प्रयास किया जाए।
11. याचिका का निपटारा किया जाता है।

(अवनीश झिंगन) ,जे

रिया/10

रिपोर्ट करने योग्य है या नहीं: हाँ / नहीं

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं

ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी